बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना – 800015.

पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आर यू पी पी), जिनका मुख्यालय बिहार राज्य में स्थिति है, हेतु आवश्यक सूचना

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन हेतु सभी दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारर्दिशता संबंधी दिशा–निर्देशों का अनुसरण करें। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29.08.2014, पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 19.11.2014 एवं पत्रांक 505/Meeting/IT Module/PPEMS/2022 दिनांक 30.06.2023, जो सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव को संबोधित है, द्वारा दल की निधियों एवं निर्वाचन व्यय मामलों में पारदर्शिता एवं लेखांकन पर विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/ पारदर्शिता/2014 दिनांक 14.10.2014 द्वारा निदेशित किया गया है कि पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (Registered Unrecognized Political Party) अपने निर्वाचन खर्च, अंशदान रिपोर्ट और अपने लेखा–परीक्षित लेखे से संबंधित विवरण उस राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करायेंगे, जिस राज्य में राजनीतिक दल का मुख्यालय अवस्थित है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा उक्त रिपोर्ट/विवरण को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तारीख निम्नवत् निर्धारित की गयी है :–

(1) अंशदान रिपोर्ट (फार्म–24क) – अंशदान रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर या आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए सी0बी0डी0टी0 द्वारा यथा–विस्तारित वैसी तारीख तक।

(2) वार्षिक लेखा–परीक्षित लेखा – प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अन्तर्गत राजनैतिक दलों की आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि से एक माह के भीतर।

(3) निर्वाचन व्यय का विवरण – विधान सभा निर्वाचन के पूरा होने के 75 दिनों और लोक सभा निर्वाचन के पूरा होने के 90 दिनों के भीतर।

राजनीतिक दलों द्वारा अंशदान रिपोर्ट, वार्षिक लेखा–परीक्षित लेखा एवं निर्वाचन व्यय का विवरण दाखिल करने की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक नया प्रौद्योगिकी समर्थित पोर्टल https://iems.eci.gov.in भी शुरू किया गया है, जिसके संबंध में विस्तृत विवरण आयोग के वेबसाईट eci.gov.in पर लिंक Political Parties-Transparency Guidelines/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट पर लिंक https://ceobihar.nic.in/iems.html पर उपलब्ध है।

उक्त के आलोक में वैसे सभी पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जिनका मुख्यालय बिहार राज्य में अवस्थित है, से अनुरोध है कि आयोग द्वारा विहित समय और रीति के अनुसार उपर्युक्त रिपोर्ट/विवरण जमा किया जाये।

(मिथिलेश कुमार साहु)
संयुक्त सचिव